

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

सम्पादक : महानभाई प्रभुवास देसाई

भाग १९

अंक २८

मुद्रक और प्रकाशक

जीवणी डाह्याभाई देसाई
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १० सितम्बर, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शिं० १४

हम युद्धका आश्रय नहीं लेंगे

[प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरूके बुत्तरप्रदेश कांग्रेस कमेटीके सम्मुख सीतापुरमें २१ अगस्तको दिये गये भाषणकी पत्रोंमें छपी रिपोर्टका सार नीचे दिया गया है।]

“हम शांति चाहते हैं लेकिन किसी भी हालतमें हम युद्ध करेंगे ही नहीं, औसी कोओ प्रतिज्ञा मैंने या हमारी सरकारने नहीं ली है। अगर हमारे देश पर आक्रमण हुआ, तो हम अपनी सारी ताकत लगाकर अुसकी रक्षा करेंगे और अुसके लिये अपनी सेनाओंका अुपयोग भी करेंगे। लेकिन अिसके सिवा किसी भी दूसरी परिस्थितिमें हम युद्धका आश्रय नहीं लेंगे।”

प्रधानमंत्रीने कहा, “आजादीके बादसे ही अपनी घोषित नीतिके अनुसार पुर्णगाली सरकारके साथ शांतिपूर्ण समझौता करनेकी हमने पूरी कोशिश की है। लेकिन अुसने हमारी कोशिशोंकी अुपेक्षा की है, हमें डुकारा है, और अिस सवाल पर बातचीत तक करनेसे अिन्कार किया है। अिसी बुद्धेश्वरसे हमने वहां अपना दूतावास स्थापित किया था, लेकिन हमें अुसे वापिस हटा लेना पड़ा, क्योंकि अुसका कोओ अुपयोग न था। पुर्णगाली सरकारने हमारा कोई बार अपमान किया है और गोआमें अुसका शासन अत्यंत कर और निष्ठुर है, किन्तु अिसके बावजूद हम अपनी शान्तिकी नीतिका पालन करते रहे हैं।”

प्रधानमंत्रीने कहा कि पहला सवाल, जिसके बारेमें हमें स्पष्ट निश्चय कर लेना चाहिये, यह है कि “अिस मामलेमें हमें, जैसा हम करते आये हैं अुसी तरह, शान्तिपूर्वक व्यवहार करते रहना चाहिये या कि हमें सैनिक अुपयोकों, या जिसे पुलिस कार्रवाई कहा जाता है, अुसका आश्रय लेना चाहिये।”

“हमें निश्चय है कि शान्तिका तरीका ही सही है, केवल गोआ और भारतकी दृष्टिसे ही नहीं, बल्कि दुनियाके ज्यादा बड़े सवालों और अपनी अुस विदेश-नीतिकी दृष्टिसे भी जिसका हम काफी सफलताके साथ पालन कर रहे हैं। अिस शान्तिपूर्ण तरीकेके पालनसे हमें पाण्डित्योंमें अनुकूल फल प्राप्त हुआ और आज हम और फांस अच्छे मित्र हैं। सैनिक शक्तिके जरिये गोआ पर अधिकार कर लेना हमारे लिये आसान है, लेकिन वैसा करनेका भतलब जिन आदर्शोंकी हम घोषणा करते आये हैं अुनका परित्याग करना होगा। अिसके सिवा गोआके निवासियोंके साथ अिसमें न्याय नहीं होगा। हम युद्ध या युद्ध-जैसी बातोंके जरिये समस्याओंके समाधानके खिलाफ रहे हैं और हम अपने अिस निश्चय पर अडिग रहना चाहते हैं।”

अुन्होंने आगे कहा, “अगर यह ठीक है तो फिर हमें बिना सोचे-समझे ‘पुलिस कार्रवाई’ या अिस तरहकी दूसरी बातोंकी चर्चा नहीं करना चाहिये। औसी बातें हमारी नीति, हमारे सिद्धान्तों और हमारी प्रतिष्ठाके अनुकूल नहीं हैं। अगर कुछ लोग औसा समझते

हैं कि हम अिस सवालको शान्तिपूर्ण अुपायोंसे हल नहीं कर सकते, तो फिर अुन्हें कुछ अवसरों पर युद्धकी आवश्यकताको भी मानना होगा। अुस स्थितिमें सवाल यह होगा कि अमुक अवसर युद्ध करने-जैसा है, अिस बातका निश्चय कौन करेगा। हरअेक देश खुद ही अिस बातका निर्णय करने लें, तो युद्धोंकी बाढ़का दरवाज़ा खुल जायगा। औसा नहीं समझना चाहिये कि छोटा-मोटा युद्ध तो अुचित है, लेकिन बड़ा युद्ध अनुचित है। अगर हम अेक बार सिद्धान्त छोड़ दें, तो फिर अपनी जगह मजबूतीसे खड़े रहका हमारा सहारा छिन जाता है; फिर हम दुनियामें शान्तिकी स्थापनाके लिये, जो कि मानव-जातिके भविष्यके लिये अितनी जरूरी है, काम नहीं कर सकते।”

(अंग्रेजीसे)

जवाहरलाल नेहरू

गोआका स्वातंत्र्य-युद्ध और गांधीजी

[गोआन यूथ लीगके दो प्रतिनिधि महात्मा गांधीसे ३ जुलाई, १९४६ को मिले थे। अुन्होंने गोआके स्वातंत्र्य-युद्धके बारेमें गांधीजीसे जो प्रश्न पूछे थे, अुनके अुन्होंने नीचे लिखे अुत्तर दिये थे। आजकल गोआकी स्वतंत्रताके लिये जो अन्दोलन चल रहा है, अुसे दृष्टिमें रखते हुए ये प्रश्नोत्तर दिलचस्प मालूम होंगे। ये १५ अगस्त, १९५५ के अ० आजी० सी० सी० के ‘अिकाँनामिक रिव्यू’से यहां अुद्धृत किये जाते हैं।]

प्र० — फिल्हाल पुर्णगाली साम्राज्यवादके खिलाफ हमारी लड़ावी नागरिक स्वतंत्रतायें प्राप्त करनेके लिये हैं। अिसलिये हमें किस प्रकारका सत्याग्रह करना चाहिये?

अ० — आपको नागरिक स्वतंत्रताओं पर होनेवाले हरअेक हमलेका सामना सविनय आज्ञाभंग द्वारा करना होगा। लेकिन अिससे पहले आपको स्पष्ट समझाना चाहिये कि कौन कौनसी नागरिक स्वतंत्रताओंके लिये आप लड़ रहे हैं। आप औसी किसी चीजकी मांग नहीं कर सकते, जिसके लिये आपको नैतिक अधिकार नहीं है। अिसके सिवा, आपका अन्दोलन पूरी तरह अहिसक होना चाहिये।

प्र० — पुर्णगाली सरकारका औपनिवेशिक शासनतंत्र सभाओंके लिये पहलेसे अिजाजत लेना जरूरी ठहराता है, लेकिन हम बिना सूचना दिये भी सभायें करनेका अधिकार चाहते हैं।

अ० — बिना सूचना दिये सभायें करनेका आपको पूरा अधिकार होना चाहिये। कोओ भी स्वाभिमानी भनुष्य औसी किसी बातके करनेमें डाली जानेवाली रुकावटको सहन नहीं कर सकता, जो नैतिक दृष्टिसे न्यायपूर्ण है। हम स्वतंत्र मनुष्य हैं और हम शान्तिपूर्ण डंगसे सभायें करना चाहते हैं। अिसके लिये हम पहलेसे कोओ सूचना नहीं दे सकते। अिसलिये बिना सूचना दिये आपको सभायें करनी चाहिये।

प्र० — मान लीजिये हम सभा बुलाते हैं, लोगोंके सामने भाषण देते हैं और गिरफ्तार कर लिये जाते हैं, लेकिन बादमें पुलिस हमें किसी निश्चित दिन फिर हाजिर होनेकी बात कह कर छोड़ देती है, तो क्या हमें पुलिसकी यह बात मंजूर करनी चाहिये? अथवा हमें पुलिस अहाता छोड़नेसे अिन्कार कर देना चाहिये, या बाहर आ जाना चाहिये और अनुके लगाये प्रतिबन्धोंको फिरसे तोड़ना चाहिये?

ब० — जिस पुलिसको आपको गिरफ्तार करनेका अधिकार है, अुसे आपको छोड़ देनेका भी अधिकार है। अिसलिए आपको बाहर जाने दिया जाय तो आपको चले जाना चाहिये। आपको पुलिससे अपनेको हिरासतमें रखनेका आग्रह नहीं करना चाहिये। लेकिन अेक बार बाहर निकल जानेके बाद आप फिर प्रतिबन्धको तोड़ सकते हैं। अगर पुलिसके सामने फिरसे हाजिर होनेका कोअी दिन निश्चित कर दिया जाय, तो अेक सम्य मनुष्यके नाते औसा करना आपका फर्ज है।

प्र० — जब काढ़ी सत्याग्रही गिरफ्तार किया जाय, तब लोगोंको कैसा व्यवहर करना चाहिये?

ब० — अगर कोअी सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिया जाय, तो किसी तरहका प्रदर्शन या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये। लोगोंको पूर्ण शान्ति रखनी चाहिये और व्यक्तिगत रूपमें या सामूहिक रूपमें गिरफ्तार होनेकी तयारी दिखानी चाहिये। किसीके गिरफ्तार किये जाने पर हड्डताल या औंसी ही कोओं दूसरी बात करनेकी में हिमायत नहीं कर सकता। अन्तमें आपको जानना चाहिये कि सत्याग्रही स्वच्छासे गिरफ्तारीको न्योतता है, अिसलिए अगर लोग कुछ करना ही चाहते हैं, तो अुहूं सत्याग्रहीके बुद्धाहरणका अनुकरण करना चाहिये। जहां तक प्रदर्शन वगैराका सम्बन्ध है, वे बादमें आयंगे।

प्र० — प्रेसकी पूर्व-जाचके नियमको कैसे तोड़ा जाय?

ब० — अिसका अमल सचमुच कठिन है, लेकिन मैं अिसके दो हल बता सकता हूँ।

पहला वह है, जिस पर मैंने दक्षिण अफ्रीकामें अमल किया था। अिसमें हस्तलिखित बुलेटिन निकाले जायें, जि.हें स्वयंसेवक खुले आम बैचें। अिन बुलिंटिनोंमें सरकारका भड़ाफोड़ करनेवाले और अुसके कानूनकी अवज्ञा करनेवाले समाचार होने चाहिये। अगर लिखनेवाले लोग प्रत्येक बुलेटिनके नीचे अपने पूरे नाम लिख दें तो ज्यादा अच्छा होगा। और आपमें से बहुतसे लोग मिलकर काम करें, तो बहुतसी प्रतियां निकालना कठिन नहीं होगा। अगर सरकार सम्बन्धित लोगोंको गिरफ्तार कर ले तो दूसरे यह काम जारी रख सकते हैं।

दूसरा हल यह है कि बाहरसे छपी सामग्री प्राप्त करके खुले आम बांटी जाय।

प्र० — संस्थाओं पर लगाया गया प्रतिबन्ध कैसे तोड़ा जाय?

ब० — जितनी चाहें बुतनी संस्थायें खोलिये और अुनके नाम पर काम करना शुरू कर दीजिये।

प्र० — अगर सरकार गोलीबार वगैरा करे तो लोगोंको क्या करना चाहिये?

ब० — औंसी धृणास्पद परिस्थितियोंमें जीवित रहनेके बजाय बहादुरीसे मर जाना ज्यादा अच्छा है। लोग सरकारसे कह दें: “अच्छा, हम पर गोली चलाओ!”

प्र० — जब किसी सत्याग्रहीको य.तनायें पहुँचाओ जायें, तब वह अपनी निष्ठा और साहसको कैसे कायम रखें?

ब० — सत्याग्रहीको कभी पीछे नहीं हटना चाहिये। अुसे हर तरहकी यातनायें बहादुरीसे सहनी चाहिये।

प्र० — गोआका कैथोलिक चर्च अगर पुर्तगाली शासकोंके हाथमें दमनका सक्रिय साधन बन जाय, तो सत्याग्रहीका अुसके प्रति क्या रुख होना चाहिये?

ब० — धर्मको अिस आन्दोलनसे अलग रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर वह सचमुच अत्याचारियोंके हाथका खिलौना बन जाय, तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप अुसका विरोध अुसी तरह करें, जिस तरह आप किसी दमनकारी हुक्मतका विरोध करेंगे। लेकिन अुसका विरोध अुसी हद तक कीजिये, जिस हृद तक वह आपके ध्येयकी सिद्धिमें वाधक बनता है।

पूछे गये सारे प्रश्नोंका अुत्तर देनेके बाद महात्मा गांधीने कहा: “अब मैंने आपके सारे प्रश्नोंके अुत्तर दे दिये हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी हिम्मत दिखायें और आन्दोलनको शिथिल बनकर खत्म न हो जाने दें। अगर लोग त्याग करनेके लिए तैयार न हों, तो किसी अकेले आदमीको ही — जिसे लगता है कि अग्रायका विरोध करना चाहिये — अनुयायियोंकी प्रतीक्षा किये बिना त्यागके लिए तैयार हो जाना चाहिये। आप जेलमें सज़े रहें; दूसरोंकी आंखें कभी न कभी जरूर खुलेंगी।

“जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो अैसे अमानुषिक कानूनोंको तोड़े बिना अेक क्षण भी गोआमें नहीं रहता।”

गांधीजीसे बिदा मांगनेसे पहले हमने अुनके आशीर्वाद चाहे। अुन्होंने कहा: “आपके अिस आन्दोलनको मेरे हार्दिक आशीर्वाद हैं। मैं आपको बचन देता हूँ कि अिस बातके लिए मैं अपना सारा प्रभाव लगा दूँगा कि कांग्रेस गोआके प्रश्नमें रस ले और गोआ भारतके नक्शे पर आ जाय। केवल आप साहस दिखायिये, साहसकी में कदर और तारीफ करता हूँ।”

(अंग्रेजीसे)

युद्ध और शांति-कालमें सेनाके कार्य

लेफिटनेंट जनरल के० अैस० तिम्मेयाने — जिन्होंने कोरियन संघ-वार्तामें अपनी कार्यकुशलताके कारण अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की है — अभी कुछ दिन पहले बम्बवीमें ‘प्रोग्रेसिव ग्रूप’ नामके अेक मण्डलके सामने भाषण देते हुओं शांति-कालमें सेनाके कार्य पर अपना भत प्रगट किया। अुसमें अुन्होंने अेक बात यह कही कि जब युद्ध होता है, तब तो सेना लड़नेका काम करती ही है, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा होता है और शान्ति होती है, तब वह लड़नेके लिए अपनेको योग्य बनानेका काम करती है। अिसलिए अगर अुन्हें अैसे कार्योंमें लगाया जाय जिससे अुनकी कवायद-कसरत आदि तैयारी-सम्बन्धी काममें बाधा आती हो तो अुनकी अपनी विशेष कार्य-क्षमतामें कमी आयेगी, खासकर अिसलिए कि हमारी प्रतिरक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओंकी दृष्टिसे अुनकी संख्या कम-से-कम जितनी होनी चाहिये अुतनी ही है। हम मानते हैं कि श्री तिम्मेयाका मतलब यह नहीं था कि बाद या अकाल जैसी राष्ट्रीय विपत्तियोंके अवसरों पर भी सेनाको सहायताके लिए नहीं बुलाना चाहिये। तो फिर शान्ति-कालमें जिन कार्योंमें सामान्यतः सेनाका अपयोग अुनके मतानुसार नहीं होना चाहिये, वे कार्य क्या हैं? अुदाहरणके लिए, सरकार अिन दिनों सिंचानीकी बड़ी-बड़ी योजनाओंको कार्यान्वित कर रही है। लोगोंसे अपेक्षा की जाती है कि वे अिन कार्योंके लिए बड़ीसे बड़ी संख्यामें श्रमदान अर्पित करें। सेनाको अैसे कार्य व्यवस्थापूर्वक और जल्दी करनेकी तालीम प्राप्त है; तो अुसे लोगोंके द्वारा दिये जानेवाले अिस श्रमदानके दिग्दर्शन और नियंत्रणका कार्य संपादा जा सकता है या नहीं? बेकार पड़ी हुबी श्रमशक्तिको अुपयोगी राष्ट्रीय कार्योंमें नियोजित करना चाहिये, अिस तरहकी बात आजकल बहुत होती है। लेकिन संघटन और अनु-शासनकी कमीके कारण अुसमें बहुत-सा श्रम बेकार जाता है और

काम अच्छा नहीं होता। अिस कमीको दूर करनेका यह महत्व-पूर्ण काम हमारी सेनाके करने जैसा है, अलबत्ता अुसे हमारे सामान्य स्त्री-पुरुषोंके साथ हिलमिलकर तथा सादगी और नम्रतापूर्वक काम करना पड़ेगा। अगर हम यह आशा रखते हैं कि किसी दिन युद्ध बिलकुल बन्द हो जायेगे, तो हमें यह भी समझ लेना होगा कि बाइबिलकी अुकितके अनुसार हम अपने लड़ाओंके सारे हथियारोंको खेतीके ओजारोंमें बदल सकें या नहीं, लेकिन हमारी सेनाको शान्ति और अुत्पादनके कुदाली और हल जैसे ओजारोंका अुपयोग करना जरूर सीख लेना होगा; अुसे केवल युद्ध-सेवकोंके सेना ही नहीं, शान्ति-कालमें हमारी भूमि-सेना भी बनना होगा। हाँ, यह काम अुसे अिस तरह करना होगा कि अुसके कवायद-कसरत-सम्बन्धी सामान्य कार्यक्रममें कोओी विघ्न न पड़े।

२९-८-'५५

(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

नौजवानोंमें अनाचार

बम्बाईसे अेक भागी लिखते हैं:

"ता० ८-८-'५५ के 'मुम्बाई समाचार' में नीचेके समाचार पहले पृष्ठ पर छपे हैं 'चौपाटी और हैंगिंग गार्डन पर स्त्रियोंको छेड़नेके अपराधमें ३३ आदमी पकड़े गये'। अिस बार अिन नौजवानोंमें अधिकतर अूचे वर्गके घरोंके लड़के थे। 'पकड़े गये लोगोंमें अेक ग्रेज्युअट और अेक डबल ग्रेज्युअटका समावेश होता है'।

"मुझे याद है कि पिछली लड़ाओंके दिनोंमें अेक गोरे सेनिकने किसी स्त्रीकी छेड़खानी की थी। अुस समय वापूजीने तत्कालीन वाइसरॉयको शिकायतका अेक कड़ा पत्र लिखा था। १९३६ से हमारे देशमें प्रान्तीय स्वराज्य मिला था। पहले शिक्षामंत्री बालासाहब खेर थे। अुसे २० बरस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम जनताके मानसको सुधार नहीं सके हैं। जो काम अज्ञान दूर करनेसे होता है, वह काम आज पुलिसको करना पड़ता है। आज हमारे देशमें अपना राज्य है, जीवन-मान अूचा अुठानेके प्रयत्न हो रहे हैं। अैसे समय शहरोंमें यदि हमारी मां-बहनोंकी छेड़खानी की जाय, तो अिसका अर्थ यह होता है कि हमारा जीवन-मान नीचे गिर रहा है। स्वतंत्रताके बदले स्वच्छन्दता बढ़ रही है। मराठीमें अेक कहावत है, 'गढ़ आया लेकिन सिंह गया'। अुसी तरह आज हमारा राज्य तो आया लेकिन हमारी आत्मा चली गयी।"

अिसी तरहकी शिकायत अहमदाबादमें भी अमुक हद तक हो रही है। पता चला है कि रास्तों पर ही नहीं, कालेजके वर्गोंमें और अध्यापकोंकी नजरके सामने विद्यार्थी विद्यार्थियों पर 'बाण' मारते हैं और तरह तरहसे अुन्हें छेड़ते हैं। पढ़नेवाले जगत्के 'लड़कों'में आज अेसी बातें जोर पकड़ती जा रही हैं।

अिसका कारण क्या है? अिसका कारण सिनेमा और अुपन्यास-सृष्टि हो तो आश्चर्य नहीं। ये दोनों चीजें नौजवानोंके मन पर खूब सवार हो गयी हैं। और पढ़ाओंमें कोओी विद्या-तेज नहीं रहा। अुससे असा मानसिक अनुशासन या कठोर नियमन नहीं पैदा होता, जो अिस तरहके नैतिक पतन और सङ्दांधको रोके। अिसके सिवा, समाजके शहरी जीवनमें तथा अुद्योग-धन्धोंसे सम्बन्धित व्यवहारमें धर्मभीरुता या प्रामाणिकताकी मात्रा अितनी कम हो गयी है कि धर्मकी दाल और संयमकी संस्कारिता भी नौजवानोंको कोओी मदद नहीं पहुंचाती। अिस कारण सारी चीज पुलिसके हाथोंमें चली जाती है। यह हमारे संस्कारबलकी हद बताता है, अिस प्रकारकी पत्रलेखककी शिकायत अत्यंत करुण

कही जायगी। शिक्षाकार और धर्मनायक अिस प्रश्न पर विचार करके शिक्षा और धर्ममें आज जो जड़ता और दंभ आ गया है, अुसे दूर करनेका प्रयत्न करें, तो ही समाजमें सदाचार बलकी स्थापना हो सकती है। आज केवल आर्थिक दृष्टिसे देशकी विकास-योजनाओंका जो विचार किया जाता है, अुसका भी हमारे नैतिक मानस पर अच्छा असर नहीं पड़ता।

(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

भाषायें और भारतीय अेकता

अेक अनुकरणीय अुदाहरण

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयके वाइस-चान्सलर डॉ० पी० रामस्वामी अध्यर्थने पिछले मंगलवार भारतीय भाषा संगम नामक अेक संस्थाका अुद्घाटन किया। अिस संस्थामें अैसे प्रत्येक आदमीको तामिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी और गुजराती भाषाकी शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया गया है, जो ये भाषायें सीखना चाहता है। यह आरंभ अिस विश्वासके आधार पर किया गया है कि राष्ट्रीय अेकता और संगउनके लिये यह बहुत आवश्यक है कि भारतका प्रत्येक नागरिक अपने प्रदेशसे भिन्न प्रदेशों और संस्कृतियोंके बारेमें कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करे। यह विश्वास अितनी बार और अितने लोगों द्वारा प्रकट किया जाता है कि यह आश्चर्यकी ही बात है कि अधिक लोगोंको अिस विषयमें कोओी ठोस कदम अुठानेकी बात क्यों नहीं सूझी। और किसी प्रजाके मानस और संस्कृतिको जाननेका अुसकी भाषा और साहित्यसे बढ़कर दूसरा कोओी साधन नहीं है।

जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, यह थोड़े आश्चर्यकी बात है कि हमारे विश्वविद्यालय चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और दूसरी विदेशी भाषाओंके वर्ग खोलनेमें तो अेक-दूसरेसे होड़ लगाते हैं, लेकिन भारतकी प्रादेशिक भाषायें सिखानेके लिये वर्ग शुरू करनेकी बात शायद ही किसीको सूझती है। कमसे कम तामिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी और गुजरातीमें ही डिप्लोमा कोर्स शुरू किये जायें, जिनकी शिक्षा भारतीय भाषा संगमने शुरू की है, और केन्द्रीय तथा दूसरे पविलिक सर्विस कमीशन यह घोषणा कर दें तो अच्छा हो कि शासन-सम्बन्धी नौकरियोंके लिये अैसे अुम्मीदवारोंको तरजीह दी जायगी, जो अेकसे अधिक भारतीय भाषायें जानते होंगे।

[यह अिलाहाबादके अंग्रेजी दैनिक 'लीडर' के ता० २७-८-'५५ के अंकमें छपे सम्पादकीय लेखसे दिया गया है। 'हरिजन' सदासे भारतीय विश्वविद्यालयोंमें अिस सुधारकी हिमायत करता रहा है। हमारी महान भारतीय भाषाओंका पारस्परिक और आदर-पूर्ण अध्ययन करके तथा आन्तर-प्रान्तीय और अस्थिल भारतीय व्यवहारके लिये हिन्दीका ज्ञान प्राप्त करके ही भारतकी अेकता सिद्ध की जा सकती है और अुसे मजबूत बनाया जा सकता है। भगवान करे हमारे शिक्षा-मंत्रालय और विश्वविद्यालय अिस चीजको समझें और अिसके अनुसार शिक्षाका पुनर्गठन आरंभ करें।]

२-९-'५५

(अंग्रेजीसे)

— म० प्र०]

राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी

[दूसरा संस्करण]

लेखक : गांधीजी; अनु० काशिनाथ त्रिवेदी
क्रीमत १-८-०
डाकखाना नं०-६-०
नवजीवन प्रकाशन निविर, अहमदाबाद-१४

हरिजनसेवक

१० सितम्बर

१९५५

गोआका प्रश्न

२१ अगस्त, १९५५ को अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंके सामने भाषण देते हुअे श्री जवाहरलाल नेहरूने सीतापुरमें कहा कि शांतिपूर्ण तरीके अधिक समय लेते दिखायी देते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि अन्तमें वही सबसे ज्यादा व्यावहारिक सिद्ध होते हैं और आन्तर-राष्ट्रीय सम्बंधोंका अधिक अूचा स्तर पेश करते हैं।

श्री नेहरूने कहा, "हमारे सामने गोआके खिलाफ़ आर्थिक कदम बुठानेका रास्ता खुला है, हमने बहुतसे कदम अठाये हैं तथा हम और भी ज्यादा अुठा सकते हैं। हम दूसरे प्रकारके कदम भी अुठा सकते हैं, जिन पर सावधानीसे विचार करना होगा।" ये सब शांतिपूर्ण कदम हैं। ये शक्तिशाली हथियार हैं, हालांकि वे अकेले कोभी नतीजा नहीं लाते।

बुद्धीने कहा कि भारतमें भी गोआके प्रश्न पर काफी अम-पूर्ण विचार फैला हुआ है और कुछ विदेशोंमें तो यह अम या शायद जान-बूझकर पैदा की हुअी गलतफहमी भारतसे भी ज्यादा पायी जाती है। "मुझे कुछ विदेशी आलोचनाओं पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ है, क्योंकि वे अुसी पुराने औपनिवेशिक मानसके कायम रहनेकी सूचक हैं जिसने अशियां और अफ्रीकाको अितना नुकसान पहुंचाया है। हम जिस अमको दूर करनेका प्रयत्न करें और हकीकतोंको स्पष्ट रूपमें दें।"

"गोआमें हमारा क्या लक्ष्य है? गोआ भौगोलिक दृष्टिसे भारतका एक हिस्सा है। हम दुनियामें हर जगह अपनिवेशवादका विरोध करते हैं, अिसलिये भारतके एक छोटेसे भागमें औपनिवेशिक शासनको बरदाशत करना हमारे लिये असंभव है। गोआके लिये हमें कोभी लोभ नहीं है। वह छोटासा भूभाग अगर भारतमें मिल जाता है, तो असे अिस विशाल देशमें कोभी बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता। लेकिन विदेशी औपनिवेशिक शासनके मात्रहत रहनेवाला एक छोटासा टुकड़ा भी जरूर फर्क पैदा कर देता है और वह भारतके स्वाभिमान और राष्ट्रीय हितोंके लिये हमेशाका खतरा है। वह अैसी हालतमें विशेष करके खतरेका साधन बन जाता है, जब पुर्णगाल जैसे शत्रुताका भाव रखनेवाले प्रतिगामी देशकी अस पर हुक्मत हो।"

प्रधानमंत्रीने कहा, "गोआके लोग कौन हैं? वे हमारे ही लोगोंमें से हैं। पुर्णगाली जनगणनाके अनुसार अन्में दो प्रतिशत लोग भी जैसे नहीं हैं, जिनकी मातृभाषा पुर्णगाली हो। बाकीके लोग वंशसे, नसलसे, भाषासे और अन्य कभी दृष्टियोंसे भारतीय हैं। अन्में से लगभग दो-तिहाई लोग हिन्दू हैं और एक-तिहाई लोग कैथोलिक अीसाई हैं। भारतके बाकीके भागमें लाखों रोमन कैथोलिक अीसाई हैं, जो अन्में ही भारतीय हैं जितने कि भारतके अन्य लोग। गोआका आर्थिक जीवन अनिवार्य रूपमें भारतके साथ जुड़ा हुआ है। अतः हमारे लिये यह स्वाभाविक है कि हम गोआके लोगोंके साथ अेकताकी भावना अनुभव करें और विदेशी औपनिवेशिक हुक्मतमें हो रहे अन्में दमनके कारण हमें दुःख हो।"

"लेकिन," श्री नेहरूने कहा, "हम गोआके लोगोंकी विच्छाके विशद अपने-आपको अनु पर लादना नहीं चाहते। अन्तमें चुनाव ही अन्हींको करना है। हमें विश्वास हो गया है कि गोआके ८०

से ९० प्रतिशत लोग पुर्णगाली शासनसे मुक्त होना चाहते हैं और भारतके साथ अधिक गहरा सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं। अिसलिये मुख्य बात है पुर्णगाली शासनसे मुक्ति और भारतसे अपनिवेशवादके अिस अंतिम चिन्हको मिटाना। हमने गोआके लोगोंको यह बचन दिया है कि अपना भविष्य वे स्वयं निश्चित कर सकते हैं; अनुके धर्म, भाषाओं और रीत-रिवाजकी रक्षाके बारेमें भी हमने अनुहं विश्वास दिलाया है।"

श्री नेहरूने कहा, "दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि गोआके लोगोंको अपनी राय भी जाहिर नहीं करने दी जाती। पुर्णगालियोंने वहां पुलिस राज्य खड़ा कर दिया है। और अनुके खिलाफ जो लोग जरा भी अपनी राय जाहिर करते हैं अनुहं जेलकी लम्बी-लम्बी सजायें दी जाती हैं। पुलिसकी अिजाजतके बिना वहां धार्मिक समा-सम्मेलन भी नहीं किये जा सकते। अगर गोआके लोगोंको वाणीकी स्वतंत्रता और थोड़ी भी नागरिक स्वाधीनता होती तो कोभी कठिनाई नहीं रहती।"

प्रधानमंत्रीने आगे कहा कि प्रश्न भारतका गोआ पर अपने-आपको लादनेका नहीं, बल्कि गोआनी लोगोंकी आजादीका और पुर्णगालकी औपनिवेशिक हुक्मतका खात्मा करनेका है। गोआकी समस्या हमारे सामने कभी बरसोंसे खड़ी है और हालकी कुछ घटनाओंने हमारे लोगोंको क्रोध और विरोधकी भावनासे भर दिया है। लोगोंका यह क्रोध और विरोध समझमें आ सकता है। लेकिन अनुके मनमें गड़बड़ी पैदा हो सकती है और गड़बड़ीके कारण किसी सही निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। अिसलिये अिस प्रश्न पर हमें गंभीरतासे और शान्त चित्तसे अुसके सारे पहलुओंको दृष्टिमें रखकर विचार करना चाहिये।"

श्री नेहरूने कहा, "हमारा पहला विचार अनु लोगोंको अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करनेका होना चाहिये, जिन्होंने गोआकी स्वतंत्रताके ध्येयके लिये अपने प्राणोंकी बाजी लगा दी या बड़े-बड़े त्याग किये हैं। अिसमें गोआके लोग और भारतके लोग दोनों शामिल हैं। यह याद रखना चाहिये कि गोआनिवासी पुर्णगालकी औपनिवेशिक हुक्मतके अत्याचारोंसे अपने-आपको मुक्त करनेके प्रयत्नमें पिछले कभी वर्षोंसे कष्ट भोगते रहे हैं।"

"अिस अदम्य साहसके ताजे अदाहरणोंका हमारे लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था — वह साहस जो मृत्युको निकट देखकर भी कमजोर नहीं पड़ा। अिन बहादुर सत्याग्रहियोंके अवसानसे शोकसंतप्त होना हमारे लिये स्वाभाविक है; लेकिन मैं कहूंगा कि यह अवसर हमारे लिये आनन्द और गौरवका भी है, क्योंकि हमारे देशके बहुतसे स्त्री-पुरुषोंने यह अूचा अदाहरण हमारे सामने रखा है। केवल शोक मनानेके बजाय अिस पहलू पर भी हम भार दें। मौत तो कभी न कभी हम सबके पास आती ही है, लेकिन अिस बातसे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है कि मौतका सामना हम कैसे करते हैं। जो हिम्मत मौत पर विजय पा लेती है वही टिकती है और हमारे सामने अैसा अदाहरण रखती है, जो हमें पहलेसे ज्यादा अच्छे बना देता है।"

श्री नेहरूने कहा कि भारतके लम्बे वित्तिहासमें कभी आक्रमण हुअे और कभी अतार-चढ़ाव आये, लेकिन सार्वभौम सत्ता भारतके भीतर ही रही। भारतमें ब्रिटिश, फ्रेंच और पुर्णगाली शासन कायम होने पर पहली बार भारतके राजकाजका संचालन बाहरसे होने लगा। अिसी अपनिवेशवादने भारतको वित्तिहासमें पहली बार दूसरे देशके अधीन बना दिया। ब्रिटिश सत्ता भारतमें प्रधान हो गयी और फ्रेंच तथा पुर्णगाली भूभाग छोटे-छोटे टुकड़ोंके रूपमें रह गये। ये टुकड़े ब्रिटिश सत्ताके संरक्षणके कारण भारतमें बने रहे। वे फ्रेंच भारत और पुर्णगाली भारत कहे जाते रहे।

श्री नेहरूने आगे चलकर कहा, “राष्ट्रीय आन्दोलनका मुख्य हेतु बाहरी सत्ताका यानी पराधीन देश पर दूरकी औपनिवेशिक सत्ताके शासनका अन्त करना था। जहां तक ब्रिटिश भारतका सवाल था, यह घ्येय शांतिपूर्ण ढंगसे सिद्ध हो गया। बादमें फ्रेंच भारतके सम्बन्धमें भी यह हेतु शांतिपूर्वक और बातचीतके जरिये अनिवार्य रूपमें सिद्ध हो गया। अब बाहरी सत्ताके अधीन भारतका वही हिस्सा बचा है, जो पुर्तगाली भूभाग कहलाता था। यह साफ है कि वहां दूर स्थित पुर्तगालका शासन और सार्वभौम सत्ता है। यह राष्ट्रवादिकी संपूर्ण कल्पना और आधुनिक युगकी भावनाके खिलाफ है।”

“यहां मैं यह नहीं बता सकता कि गोआमें परिस्थिति क्या रूप लेगी या हम आगे क्या कदम अठायेंगे। लेकिन अितना मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहां तक हमारी सरकारका सवाल है, वह असी मूल नीति पर चलेगी, जो हमने तय की है और हम पुर्तगाली शासनसे गोआको मुक्त करनेका घ्येय अपने सामने रखेंगे। अिसमें मैं जरा भी शक नहीं कि हम अपना यह घ्येय अवश्य सिद्ध करेंगे।”

श्री नेहरूने १५ अगस्तके दिन हुए गोआ सत्याग्रहका जिक्र किया और कहा, “यह जाहिर है कि हमारी सरकार दूसरी सरकारके खिलाफ सत्याग्रह नहीं कर सकती। लेकिन व्यक्तियों या दलोंको सत्याग्रह करनेका अधिकार है, बशर्ते असके अंसे कोअी नतीजे न आयें जो फौजी संघर्षको जन्म दें। बेशक, गोआमें या गोआके बाहर रहनेवाले गोआनियोंका यह अधिकार है कि वे गोआकी मुक्तिके लिये सत्याग्रह करें। अ-गोआनियोंको भी सिद्धान्तमें अिस सत्याग्रहसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर अिस सत्याग्रहको फौजी कार्रवाओंकी पूर्वभूमिका माना जाय, तो यह सत्याग्रह नहीं रह जाता, और कुछ भले हो। अिसके अलावा, भारतीयों द्वारा सामृहिक सत्याग्रह करनेकी बातको हमने निरस्ताहित किया, क्योंकि अससे न केवल अवांछनीय परिस्थितियां और नओं अुलझनें खड़ी होतीं, बल्कि अिस समस्याके प्रति हमारे दृष्टिकोणके बारेमें दूसरे देशोंके लोगों पर गलत छाप पड़ती।

“अिस सम्बन्धमें जिन बहुतसे गोआनियों और भारतीयोंने सत्याग्रह किया, अनुके साहसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिये, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिये कि अिस सत्याग्रहके बहुतसे हिमायतियोंको सत्याग्रहके अर्थकी कोअी स्पष्ट कल्पना नहीं है। वे सत्याग्रहके साथ पुलिस कार्रवाओंकी भी बात करते हैं, मानो अिन दोनोंका आपसी सम्बन्ध हो।”

श्री नेहरूने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, “ये दोनों मानसिक और भौतिक दृष्टिसे सर्वथा भिन्न बातें हैं। अिन दोनोंको मिला देनेका अर्थ है भ्रम और निष्फलताको जन्म देना। दूसरे देशोंके लोग सीधी कार्रवाओंकी अिस शान्तिपूर्ण पद्धतिके आदी न होनेके कारण यदि सत्याग्रहका अर्थ न समझ सकें, तो मेरी समझमें यह बात आ सकती है। लेकिन भारतके लोगोंके लिये तो अिन दो विश्वद बातोंको मिला देनेका कोअी बहाना नहीं होना चाहिये, जिन्हें पिछले ३५ बरसोंसे अिस पद्धतिकी तालीम दी गई है। अगर हम फौजी या पुलिस कार्रवाओंको सही या वांछनीय मानते हों, तो हमें तथाकथित सत्याग्रहकी पूर्वभूमिका तैयार किये बिना अैसा करना चाहिये।”

“गोआमें १५ अगस्तकी दुःखद घटनाओंके बाद भारतके लोगोंकी भावनाओं अुत्तेजित होना स्वाभाविक था। सारी दुनिया अिस मामलेमें भारतीय पुण्य प्रकोपकी गहराओं और तीव्रताको देख सकी है। लेकिन अैसे बड़े प्रदर्शन अक्सर दूसरी ही दिशा पकड़ लेते हैं और अनुशासनबद्ध शक्ति और सहानुभूतिके प्रदर्शनके बंदले हम देखते हैं कि लोगोंकी अच्छूखल भीड़ कभी-

कभी दूसरोंके साथ बुरा व्यवहार करती है और अन्हें अपनी पसंदका काम करनेके लिये मजबूर करती है। यही हाल अिस मामलेमें भी हुआ। लोगोंका यह व्यवहार सत्याग्रहसे कोसों दूर था। बड़े दुर्भाग्यकी बात है कि अिसने अनु लोगोंके अदम्य साहस द्वारा पैदा किये हुओ भारी असरको कम कर दिया है, जिन्होंने पुर्तगाली हुकूमतका शान्तिपूर्ण विरोध करनेमें अपने प्राण निछावर कर दिये।”

“अिसलिये, कुछ लोग जो अिस आन्दोलनको गलत दिशामें भोड़ा चाहते हैं अुससे हमें सावधान रहना चाहिये। अैसा करना कभी भी बुरा ही होता है, लेकिन आन्तर-राष्ट्रीय प्रश्नोंको हल करनेमें यह बुराओं कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। सत्याग्रह शान्तिपूर्ण और अहिंसक तथा अनुशासनपूर्ण और निर्भय होना चाहिये। अनुशासनहीनता और अन्यायपूर्ण व्यवहारका सत्याग्रहसे कोअी सम्बन्ध नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग, जो केवल हिंसामें ही विश्वास करते हैं, गलत घ्येयोंके लिये सत्याग्रहका दुरुपयोग करना चाहते हैं। कांग्रेसका यह फर्ज है कि वह अपने सिद्धान्तों पर बढ़ रहे और क्षणिक अुत्तेजना और क्रोधके आवेशमें न बह जाय। हमें जनताको सही रास्ता बताना है, भले वह लोगोंको प्रिय न हो। हमें अपने आधारभूत सिद्धान्तोंको मजबूतीसे पकड़े रहना चाहिये। अिसी बातने भूतकालमें कांग्रेसको महान बनाया है, और यही चीज भविष्यमें कांग्रेसको और महान बनायेगी।”*

(अंग्रेजीसे)

लोकजीवन और सिनेमा

ओड़े दिनोंसे अखबारोंमें, विशेषकर फिल्मी पत्रोंमें, एक बड़ी दिलचस्प चर्चा चल रही है। फिल्मवाले बहुत रुठ गये हैं। क्या फिल्मसे संबंध रखनेवाली केन्द्रीय मिनिस्ट्रीको, क्या पार्लियामेन्टके कांग्रेसी सदस्योंको, सबको आड़े हाथों ले रहे हैं। लोग अन्हें मनाते हैं। पर वे जल्दी कहां माननेवाले हैं?

बात यह है कि पार्लियामेन्टके चौसठ सदस्योंने एक शिकायत पेश की। शिकायत क्या अपनी एक शंका जाहिर की। ये भाओं थे सब कांग्रेसवाले। अिसलिये अन्होंने अपनी दास्तान कांग्रेस वर्किंग कमेटीके आगे पेश की। कहना अनुका यह था कि आजकलकी फिल्मोंसे लड़के-लड़कियोंके चालचलन पर खराब असर पड़ता है। अब मुल्लाकी दौड़ मसजिद तक। अिसलिये वर्किंग कमेटीने सरकारसे यानी केन्द्रीय सूचना और रेडियो मिनिस्ट्रीसे कहा कि अिस तरफ ध्यान दिया जाये। यूं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी कोअी जल्दी कदम अुठानेवाली जमायत है नहीं, बहुत धीरेसे कदम बढ़ाती है, — जैसे देखिये गोआका सवाल — लेकिन अिस मामलेमें न जाने क्या हुआ, अुसने जल्दी ही फैसला कर डाला और सूचना मिनिस्ट्रीको ताकीद की कि जरा अहेत्यात बरतें — यानी फिल्मोंका सेन्सर ज्यादा सख्तीके साथ करें। कांग्रेसके जनरल सेक्रेटरीने भी अपने चौसठ साथियोंकी शिकायतमें दो लफज और जोड़ दिये। फिर क्या था? फिल्मवाले आगबबूला हो गये।

हिन्दुस्तानके फिल्म फेडरेशनके सभापति तो मानों कबके खार खाये बैठे थे। अन्होंने एक लम्बा-चौड़ा बयान दिया। अुसमें तंग नजरवाले पाखण्डियों और सामाजिक प्रतिक्रियाशीलोंको सावधान किया है कि फिल्मोंको बदनाम करनेकी हरकतें छोड़ दें। अन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटीके रवैये पर दुःख बताते हुओ कहा कि अुसने फिल्म अंदोगकी बात सुने बीते ही फिल्म मिनिस्ट्रीको शिकायत लिख भेजकर हमारे साथ नाइन्साफी की है। फिल्म फेडरेशनके प्रधानका कहना है कि अैसा करनेसे वर्किंग कमेटीने कुछ दलोंको अिस बातका मौका दे दिया कि वे जिस तरह चाहें वर्किंग

* २५ अगस्त, १९५५ के 'हिन्दू' से संक्षिप्त।

कमेटीके लोगोंके माने लगायें। अनुहोने कहा कि पार्लियामेन्टके मेम्बरोंके, सूचना मिनिस्ट्रीके और कांग्रेस वर्किंग कमेटीके अस कामसे यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि सिनेमा अण्डस्ट्री पर कालिख लगानेकी कुछ लोगोंकी कोशिश लगातार जारी है, और अस कामसे वे लोग सिनेमाको सरकारी चंगुलमें फंसाना चाहते हैं।

अनुहोने आगे चलकर यह भी कहा कि चौसठ सदस्योंके अंतराज अस मिनिस्ट्री पर लानत भेजते हैं, जो फिल्मोंका सेन्सर करती है। फिर एक बात बड़ी जोरदार कह डाली। वह यह कि अगर कुछ फिल्में अंतिमी ज्यादा खराब हैं, तो असके लिये मिनिस्ट्रीसे जवाब तलब किया जाये कि असने अंसी फिल्मोंको आखिर पास क्यों होने दिया। अगर किसी फिल्मसे शिकायत थी तो हुक्मामी दर्जे पर असकी जांच कराओ जानी चाहिये थी। यह न करके सारे फिल्मी अद्योग पर हाथ साफ करना कहांकी शराफत है?

कांग्रेसके चौसठ संसद सदस्यों और फिल्म-नरेशकी बातें बूपर हमने अपने शब्दोंमें दी हैं और दोनों पक्षोंके कहनेका सार रख दिया है। हमें नहीं मालूम कि सूचना मिनिस्ट्री वाकओंमें कोओ कदम अठायेगी या नहीं, या फिल्म फेडरेशन-प्रधानके कहनेके मुताबिक तफसीलमें जाकर बाकायदा जांच करायेगी या नहीं। लेकिन हम अंतिमीनान दिलाना चाहते हैं फिल्म-नेताको कि अनुकी तो पांचों अंगुलियां धीरें हैं। अगर सरकार जांच कराती है तो असी पर अंतराज बुठेगा कि अमुक फिल्मोंके दिखानेकी अिजाजत दे कैसे दी। और अगर जांच नहीं कराती है तो पार्लियामेन्टके मेम्बरोंका कहना न कहना बराबर हो जायगा।

लेकिन फिल्म-अद्योग और फिल्म मिनिस्ट्रीकी लड़ाओ भियां-बीबीके जैसी लड़ाओ हैं, जो कभी गरम कभी नरम। असमें किसीको पड़नेकी जरूरत नहीं है। न हम पड़ना ही चाहते हैं। मगर हम जरा सार्वजनिक दृष्टिसे अस मसले पर विचार करना चाहते हैं।

हमने सिनेमाके टिकटघरों पर अंसी भयानक भीड़ और मार-पीट होते देखी है, जो रेलवेके टिकटघरों पर भी नहीं देखी। हमने शहरके नीजवानोंको आपसमें बातें करते सुना है कि किस फिल्मी सितारेने पहले किस खेलमें हिस्सा लिया और किस फिल्ममें कौन कौन हैं। हमने छोटे छोटे लड़कोंको फिल्मी गीत गाते सुना है। हमने सभ्य घरानेके शिक्षित स्त्री-पुरुषोंको अमुक अमुक फिल्मका जिस तड़पके साथ अन्तजार करते देखा है, अनुनी बेचैनी अनुहोनी अपनी औलादके देरसे घर लौटने पर भी मुश्किलसे होती होगी। साथ ही साथ हम शहरमें ही रहनेवाले अंसी परिवारोंको जानते हैं, जो बरसों कोओ खेल देखने नहीं जाते। अिसलिये हम सिनेमाको शहराती जीवनका एक लाजमी हिस्सा तो नहीं मगर एक जबरदस्त हिस्सा जरूर कहेंगे। हम यह भी जानते हैं कि आज हिन्दुस्तानमें कपड़ेकी भिलोंके बाद सबसे बड़ा अद्योग फिल्मका ही है। और अस अद्योगसे सरकारको लाखों करोड़ों रुपयोंकी आमदनी होती है। अिसलिये अस कारोबारमें सरकारकी भी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है।

पेटा नहीं हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी या नहीं। लेकिन अब हम फिल्म-अद्योगवालोंसे कुछ निवेदन करना चाहेंगे। हम जानता चाहेंगे कि फिल्म-अद्योगका कर्तव्य क्या है। क्या अनुका धंधा महज चन्द घर्टोंके लिये लोगोंको धेर कर रुपया कमाना है, या कुछ और भी? क्या अनुका मकसद हिन्दुस्तानके ठाट-बाटदार, पैसा-परस्त, मोटरवाज लोगोंकी जिन्दगीके गीत गाना है, या कुछ और भी? हमारी अपनी दृष्टिसे तो लोकजीवनमें फिल्मका वही स्थान है, जो समाचार-पत्रोंका। अिसलिये हम मानते हैं कि समाचारपत्रकी तरह फिल्म भी तीन काम करें:

(१) लोगोंको जो चीज प्रिय हो, वह लोगों तक आसानीसे पहुंचाना।

(२) लोगोंके लिये जो चीज हितकारी हो असकी तरफ लोगोंका ध्यान खींचना।

(३) लोगोंको जिस चीजसे तकलीफ पहुंचती हो अससे दूर रहनेकी लोगोंको ताकीद करना और जिस चीजसे अनुहोने शिकायत हो वह सरकार तक पहुंचाना।

हमारा ख्याल है कि अगर किसी देशकी फिल्में केवल पहला काम करती हैं, तो वह वहांकी जनताकी मित्र नहीं शत्रु हैं। ठीक असी तरह जिस तरह किसी आदमीका औसा मित्र, जो असकी कमजोरियोंसे फायदा तो अठा ले मगर अन कमजोरियोंके दूर करनेमें अपने मित्रकी मदद नहीं करे। मसल मशहूर है कि नादान दोस्तसे दाना दुश्मन बेहतर है। बहुत न अन्नताके साथ हम कहना चाहते हैं कि हमारे देशका फिल्म-अद्योग अभी हमारे नादान दोस्तकी हालतमें है। हमें नहीं मालूम कि आजादीके बाद फिल्मोंने अपने ढंगमें कोओ फर्क किया या नहीं। फिल्में ज्यादा तादादमें तैयार कर लेना, सेंसरकी जंक्शन्टोंसे जल्दी मुक्त हो जाना, फिल्म जांच कमेटीकी रिपोर्ट तैयार हो जाना — अगर सिर्फ यही पैमाना है हमारे फिल्म-अद्योगकी जागृति और अन्नतिका, तो हमें दुखके साथ कहना होगा कि वह अभी धोखेमें है और असने अपना धर्म पहचाना नहीं।

स्पष्ट शब्दोंमें कहें तो हमें अपना फिल्म-अद्योग बहुत डरपोक मालूम पड़ता है। वह एक तरफसे जनताको खुश रखना चाहता है और दूसरी तरफसे सरकारको भी। असे हर फिल्मके बनाते वक्त यही फिक्र रहती है कि वह जनताको अच्छी लगेगी या नहीं? और सरकारकी पालिसीके खिलाफ तो नहीं पड़ेगी? असे यह फिक्र नहीं रहती कि यह फिल्म जनताके लिये अच्छी होगी या नहीं? या सरकारकी आंखें खोलेगी या नहीं? सारा फर्क है अच्छी होने और अच्छी लगनेका। मरीजके लिये कड़वी दवा अच्छी होती है पर असे अच्छी लगती नहीं। क्रीधातुर या पागल आदमीको चाकू या छुरी अच्छी लगती है पर अच्छी होती नहीं है। हिम्मतका काम है मरीजको कड़वी दवा पिलाना और पागलसे छुरी छीनना। हमारी समझमें नहीं आता कि हमारी फिल्में अभी तक अंसी हिम्मत क्यों नहीं दिखातीं।

जरा और साफ साफ कहें तो हमें कबूल करना पड़ेगा कि अभी तक हमारी फिल्में देशका जो जीवन है अससे अछूती हैं। देशका जीवन माने देशके दुखिया और सुखियाका जीवन। दूसरे शब्दोंमें, हमारी फिल्में सुखियाके जीवनकी झांकी देती हैं, पर न दुखियाकी और न भुखियाकी। फिर, देहातके जीवनसे तो वे और भी ज्यादा कोसों दूर हैं। अगर अंग्रेजी राजके जमानेसे या असके पहलेसे देशमें बेकारीका सिलसिला बढ़ा है, देशमें बीड़ी-सिगरेट, चायका अिस्तेमाल फैला है, देशमें स्त्री-ब्यापार और चोरी-डकैतीने तरकी की है, देशमें नंगे-भूखोंकी तादाद बढ़ी है, तो फिल्में असे क्यों नहीं पैश करतीं और अस तरफ जनता व सरकारका ध्यान क्यों नहीं खींचतीं? हां, अगर फिल्म-अद्योग अन सब चीजोंको हितकर मानता हो, तब तो वात ही दूसरी है। अगर लोगोंको खुद हाथसे काम करना चाहिये, अगर हर पढ़े-लिखेको भी शरीर-श्रम करना चाहिये, अगर छुआछूत खत्म होनी चाहिये, अगर भगीकी पैशा या तो मिटना चाहिये या सार्वजनिक बनना चाहिये, अगर भगीकी पैशा या तो मिटना चाहिये या सार्वजनिक बनना चाहिये, अगर लोगोंको अपने धरकी या प्रदेशकी या देशकी बनी चीजें अिस्तेमाल करनी चाहिये, तो फिल्में क्यों नहीं अिस काम के प्रेरणा देतीं? अगर सरकारी तनखाहोंमें जमीन-आसमानका भेद मिटना चाहिये, अगर दपतरोंमें साहब-मुलाजिमका हंग बदलना चाहिये, अगर

घूसखोरी और पुलिसकी ज्यादतियोंको खत्म होना चाहिये, तो फिल्में क्यों नहीं अिस तरफ कदम बढ़ातीं? क्या घरकी देवीको चूल्हेकी देवी और अपने स्वामीकी दासी बनकर रहना चाहिये, क्या हमारी बहनोंको अपना बदन जेवर लादकर सदा भयभीत रहना चाहिये, क्या हमारे भाइयोंको शादियोंमें हजारोंका दहेज लेना चाहिये? अगर नहीं तो फिल्मवाले क्यों नहीं सबको चौकशा कर देते?

हम थोड़ेमें ही संतोष करेंगे। हम सिफं यही पूछना चाहते हैं अपने फिल्मी भाषी-बहनोंसे कि क्या आजकी-सी फिल्में दिखाकर देशवासियोंको सच्चे और बहादुर, निःड़ और नम्र बननेकी प्रेरणा मिलेगी? क्या अिन फिल्मोंके अनुसार आचरण करने पर हम बाहरी शक्तियों या भीतरी संकटोंका शासनके साथ सामना कर सकेंगे? क्या अिन फिल्मोंसे आजके नौजवानमें यह अुमंग पैदा हो रही है कि मैं आजाद मुल्कका आजाद अन्सान हूँ और यह आजादी मैं किसी कीमत पर भी बेचनेको तैयार नहीं हूँ? या क्या अुसमें यह लालसा पैदा होती है कि मैं देशके दीनसे दीन और दुःखीसे दुःखी लोगोंकी सेवामें अपना जीवन अर्पित कर दूँ?

एक निवेदन और। हर फिल्में संगीत रहा करता है। अिस संगीतमें गाने कौनसे रहते हैं? हम नहीं कहते कि ये गाने ज्यादातर खराब होते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि हिन्दीकी जो बेमिसाल धरोहर है— संत-साहित्य— अुसका अुपयोग क्यों नहीं किया जाता? हमारे अिस अनमोल खजानेको लूट कर फिल्मवाले क्यों नहीं अिसे बच्चे बच्चे तक पहुँचा देते? क्या कबीर, तुलसी, नानक, दादू, सूर, रहीम, मीरा आदिके पद अिस लायक नहीं कि फिल्मोंमें अुनको शामिल किया जावे और अिस तरह यह अनोखे हीरे—जवाहर धर-धर पहुँचाये जायें? संतोंकी अिस वसीयतको ठुकरा कर नये नये भजन-गीत तैयार करनेमें समय व शक्ति नष्ट करना कहांकी अकलमन्दी है? क्या अिस साहित्यमें कोअधी भी चीज हमारे कामकी नहीं रह गयी है?

अिन सब बातों पर हमारे फिल्मी बंधुओंको विचार करना पड़ेगा। वह जनताकी अठखेलियोंके साथ खिलवाड़ हमेशा ही नहीं कर सकते। जैसा हमने अूपर कहा, जो चीज जनताको प्रिय हो वह भी देना चाहिये। लेकिन केवल वही चीज नहीं। मनोविनोदकी भी सीमा होती है। फिल्म केवल मनोविनोदका साधन नहीं, मन-बलन्दीका भी साधन बनना चाहिये। अच्छी फिल्म तो अच्छा अुपन्यास और अच्छा नाटक दोनां है। यानी फिल्मकी पहुँच कलाकी किसी भी दूसरी कृतिसे कहीं ज्यादा दूरकी और गहरी है। कहा जाता है— जहां न जाये रवि वहां जाये कवि। हम आगे बढ़कर कहेंगे कि जहां न जाये कवि वहां जाये चित्र-छवि। और अच्छी चित्र-छवि या सिनेमा वही माना जायगा जो लोगोंको स-नेमा बना दे, जो अुनको यम-नियमका पाबन्द बनाकर अुनको सुन्दर और अुच्चतर मनुष्य बना दे। परम पितासे हमारी प्रार्थना है कि अपने फिल्म अुद्योगवाले भाषी-बहनोंकी हर सत्-कामना पूरी करे।

सुरेश रामभाई

सर्वोदय

लेखक: गांधीजी; संपादक भारतन् कुमारपा

कीमत २-८-०

डाकखाच ०-१२-०

भूदान-यज्ञ

विनोदा भावे

डाकखाच ०-५-०

कीमत १-४-०

मवजीवन प्रकाशन भंदिर, अहमदाबाद-१४

कपड़ा-अुद्योगके लिये योजना

अपने देशकी परिस्थितिको देखते हुआ अैसा लगता है कि अपने गांवोंके गौरव और स्वातंत्र्य दोनोंको सुरक्षित रखना हो तो अन्हें अपनी जीवनकी आवश्यकताओंमें स्वावलंबी होना चाहिये। लेकिन अिसके बावजूद विदेशी शासन-कालमें हमारे यहां कपड़ा-अुद्योगका विकास अलग ढंग पर हुआ और अुसका बहुत ज्यादा केन्द्रीकरण हो गया है। फलतः गांवोंका प्रमुख अुद्योग नष्ट हो गया है और बेकारी तथा अर्ध-बेकारी बहुत फैल गयी है।

अभी हमारे यहां अपने अुपयोगके लिये ५७६ करोड़ गज और निर्यातके लिये ८० करोड़ गज कपड़ेकी मांग है। अिसमें से मिलोंके जरिये ५०० करोड़ गजका अुत्पादन होता है, जिसमें जीविका तो केवल ७ से ८ लाख तक लोगोंको ही मिलती है।

अिसलिये दूसरी पंचवर्षीय योजनामें शामिल करनेके लिये अविल भारत ग्रामोद्योग बोर्डेके अुत्पादनकी ओंक नयी योजना तैयार की है, जिससे बेकारीका बड़ा प्रश्न हल हो सकेगा और अिस अुद्योगका विकेन्द्रीकरण भी होगा।

बोर्डकी मान्यताके अनुसार १९६०-६१ में, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजनाके अन्तमें देशके अन्दर कपड़ेका अुपयोग बढ़कर ७२० करोड़ गज हो जायगा और निर्यात भी १०० करोड़ गज हो जायगा। अिस तरह कुल ८२० करोड़ गज कपड़ा अुत्पन्न करना होगा।

अिस ८२० करोड़ गज कपड़ेके अुत्पादनके लिये बोर्डने नीचे लिखे अनुसार बटवारा किया है: मिलें अिस समय ५०० करोड़ गज कपड़ा अुत्पन्न करती हैं और यंत्र-करघे २० करोड़ गज अुत्पन्न करते हैं; दोनोंका यह अुत्पादन चालू रहे। हाथ-करघों पर अभी १३३ करोड़ गज कपड़ा बुना जाता है, अुसे बढ़ाकर १५० करोड़ गज किया जाय। अुसी तरह अभी खादीका अुत्पादन ३ करोड़ गज है, अुसे बढ़ाकर अगले पांच वर्षमें १५० करोड़ गज किया जाय।

अैसा करनेके लिये जरूरी नीतिके तौर पर निम्नलिखित सूचनायें की गयी हैं:

- (१) मिलोंकी मौजूदा अुत्पादन-शक्तिकी वृद्धि पर रोक लगाना।
- (२) यंत्र-करघोंकी अुत्पादन-शक्तिकी वृद्धि पर रोक लगाना।
- (३) मिलोंकी सूत कातनेकी शक्ति पर रोक लगाना।
- (४) हाथ-करघोंकी कुल अुत्पादन-शक्तिका अभी ३३.३% ही अुपयोगमें आता है, अुसके बजाय ६६.६% का अुपयोग करना।
- (५) ४० करोड़ रतल अतिरिक्त सूतकी मांग पूरी करनेके लिये देशभरमें १७ लाख अम्बर चरखे दाविल करना।

टेक्सटाविल विन्कवायरी कमीशनके मतानुसार देशमें २१.९ लाख हाथ-करघे हैं और अुनसे १५ लाख मनुष्योंका निर्वाह होता है। पर ग्रामोद्योग बोर्डके मतानुसार देशभरमें ज्यांदा नहीं तो २५ लाख हाथ-करघे हैं और अुनसे ३७.५ लाख मनुष्योंका निर्वाह होता है।

अिसके सिवा हाथ-करघे पर रोज ६ गजके हिसाबसे वर्षमें ३०० दिन काम करके ये करघे कुल ४५० करोड़ गज कपड़ा तैयार कर सकते हैं। लेकिन बोर्डके मतानुसार वे अभी केवल १४० करोड़ गज कपड़ा ही बनाते हैं और अुनकी सहायताके लिये जो प्रयत्न किये गये हैं, अुनके परिणाम-स्वरूप यह अुत्पादन १९५५-५६ में बढ़कर १५० करोड़ गज हो जायगा। अिस तरह

बुनकी अत्यादन-शक्तिके ३३.३ % का ही अपयोग किया जा सकेगा। परन्तु यहां तक तो वे मिलके सूतका ही अपयोग करेंगे।

जिस विषयमें यहां यह अल्लेखनीय है कि हाथ-करधोंकी प्रायः ६६% अत्यादन-शक्तिका अपयोग करनेके लिये जो लगभग ४० करोड़ रुतल सूत चाहिये असकी प्राप्तिके लिये टेक्सटाइल अिन्वायरी कमेटीने ३६ करोड़की पूंजी लगाकर सूत पैदा करनेवाली अतिरिक्त मिलें स्थापित करनेकी सूचना की है।

जिसके खिलाफ ग्रामोद्योग बोर्डने हाथका सूत पैदा करनेकी योजना की है। असके लिये असने हाथसे चलनेवाले १२ से ४० अंक तकका सूत कातनेवाले चार तकुओंसे युक्त १७ लाख अम्बर चरखे स्थापित करनेकी सूचना की है, जिसमें केवल १५.५ करोड़ रुपयोंकी पूंजी लगेगी।

जिस अम्बर चरखेके द्वारा देशमें ३४.४ लाख कातने और पौंजनेवाले प्रतिदिन औसतन् एक रुपया कमा सकेंगे।

दूसरी पंचवर्षीय योजनामें अभी जो चरखे चल रहे हैं वे तो चलेंगे ही। अम्बर चरखा तो जो लोग कातनेका काम पूरा समय और धंधेकी तरह करना चाहते हैं वे ही चलावेंगे, यद्यपि धीरे धीरे चालू चरखोंकी जगह अम्बर चरखा दाखिल करके असे अधिक बढ़ाया जा सकेगा। अभी तो सादे चरखेकी खादीका जो ३ करोड़ गज अत्यादन होता है असे ही बढ़ाकर ५ करोड़ गज कर देना है और असे पांच वर्ष तक चालू रखना है।

अपर बताये अनुसार कपड़ा अत्यन्न करनेके बाद भी असे बेचनेका प्रश्न तो खड़ा ही रहता है। अम्बर चरखेको दाखिल करनेके बाद भी एक ही अर्ज और अंकके मिल-कपड़े और खादीमें प्रतिगज बारह आनेका फर्क रहता है। यिसलिये मुक्त बाजारमें हाथ-करधेके अथवा अम्बर सूतके कपड़ेको टिकाना हो, तो प्रतियोगिता न होने देना जरूरी है और यह सारे देशके हितमें योग्य कीमत-नीतिको अपनाकर ही किया जा सकता है। दूसरी तरह कहें तो एक सामान्य अत्यादन कार्यक्रमका सफल अमल कपड़ा-अद्योगकी सारी शाखाओंको नियंत्रणमें रखनेवाली सामान्य कीमत-नीतिके बूपर आधार रखता है और यह कीमत यिस तरह निश्चित की जानी चाहिये कि खादी सस्तीसे सस्ती बिके और आबकारी जकातके जरिये मिलके कपड़ेकी कीमत बूंची की गजी हो।

यिस कीमतको तय करनेके लिये बोर्डने एक कपड़ा-अद्योग कीमत-समितिकी भी सूचना की है। समितिमें यिस अद्योगकी विविध शाखाओंके प्रतिनिधि होंगे और वे आपसमें चर्चा तथा समझौतेके द्वारा कीमत निर्णय करनेका कार्य करेंगे।

कातने और धुननेवालोंकी तालीमके लिये अम्बर चरखा और चालू खादीकी यिस सारी योजनाके पीछे सब मिलाकर ५१.७३ करोड़ रुपये खर्च होनेका अन्दाज है। असके द्वारा कुल ४९ लाख व्यक्तियोंको पूरे समयका काम दिया जा सकेगा; और चालू चरखे पर रोजकी २ लच्छियोंके हिसाबसे सालमें १५० ही दिन कातनेवाले व्यक्तियोंको भी साथमें गिनें, तो असे ४०.१ लाख कातनेवालोंको भी रोजी मिल सकेगी। यिस तरह कुल ८९ लाख मनुष्योंको रोजी देनेकी और असके द्वारा लगभग चार अरब रुपयोंकी आय बांटनेकी शक्यता है।

कपड़ा-अद्योगका विकास यिस तरह नये मार्गसे किया जाय तो ही अपने देशमें आम जनताकी बेकारी और अर्ध-बेकारीका प्रश्न हल करना आसान होगा।

२०-८-'५५
(गुजरातीसे)

विं

शराब बनाम दूध

रुटरके लन्दनसे भेजे हुए १२ अगस्तके एक समाचारमें नीचेकी ध्यान देने लायक बात कही गयी है:

“ब्रिटिश नाविक, जो अत्यधिक मात्रामें शराब पीनेके लिये मशहूर हैं, अब शराबके बदले दूध पीने लगे हैं।”

ब्रिटिश सेना और शाही हवायी सेनाके कर्मचारी शराबके बदले अक्सर चाय, कॉफी और नीबूका शरबत पीते हैं।

फौजियोंकी शराब पीनेकी आदतमें यह ‘भारी परिवर्तन’ असे नयी जांचसे प्रकट हुआ है, जो लगभग सारे फौजी कैन्टीन चलानेवाले एक संगठन द्वारा की गयी थी।

यिन कैन्टीनोंमें ५० साल पहले १५ प्रतिशत शराबकी बिक्री होती थी। जांचका कहना है कि अब शराबकी बिक्री ५ प्रतिशत रह गयी है।

एक जांच प्रवक्ताने कहा कि हवायी सेनाके लिये दूधकी बिक्रीमें आश्चर्यजनक वृद्धि हो गयी है। ‘दूसरे दो सेनाओंमें शराबकी जगह चाय, कॉफी और दूसरे मृदु पेयोंका प्रचार तेजीसे बढ़ रहा है।’

हमें मालूम हुआ है कि फ्रान्समें भी सार्वजनिक जीवनमें काम करनेवाले प्रमुख लोगों द्वारा जनताको शराबघरोंमें जानेके बजाय दूधघरोंमें जानेके लिये प्रोत्साहित करनेका जाग्रत प्रयत्न किया जा रहा है।

अगर ये देश, जो शराबके घर कहे जा सकते हैं, बदल रहे हैं, तो भारतको तो यिस दिशामें जल्दी ही हिम्मत दिखानी चाहिये, शराब पर रोक लगानी चाहिये और अंसा तुरन्त करना चाहिये। और सरकारोंको शराब वगैरा नशीले पेयोंका अत्यादन और बिक्री बन्द करके गायकी रक्षाके लिये और अधिक तीव्र प्रयत्न करना चाहिये तथा अधिक मात्रामें दूधकी प्राप्तिको निश्चित बनाना चाहिये। यिससे न केवल धनकी ही प्राप्ति होगी, बल्कि स्वास्थ्य और सुखकी भी प्राप्ति होगी। तभी हम यिस बातकी सचाईको समझेंगे कि गाय वस्तुतः भारतमें हमारी समृद्धिकी जननी है।

३१-८-'५५
(अंग्रेजीसे)

म० प्र०

शराबबन्दी क्यों?

भारतन् कुमारप्पा

कीमत ०-१०-०

डाकखंच ०-४-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद-१४

विषय-सूची	पृष्ठ
हम युद्धका आश्रय नहीं लेंगे	२१७
गोआका स्वातंत्र्य-युद्ध और गांधीजी	२१७
युद्ध और शान्ति-कालमें सेनाके कार्य मगनभाई देसाई	२१८
नौजवानोंमें अनाचार	२१९
गोआका प्रश्न	२२०
लोकजीवन और सिनेमा	२२१
कपड़ा-अद्योगके लिये योजना	२२३
टिप्पणियां :	
भाषणों और भारतीय अंकेता	२२४
शराब बनाम दूध	२२४

भाषणों और भारतीय अंकेता

शराब बनाम दूध

म० प्र०